

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में सबोली वैड से नैलबुधानी मोर मर्ग

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भिकियाँ  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत  
प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, सुवर

उपखण्ड सुवर परिक्षेत्र के अन्तर्गत सबोली वैड से नैलबुधानी  
मोर मर्ग (1.71 हे० आरक्षित वन भूमि, 2.7 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 3.62 हे०  
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 7.07 हे० वन भूमि) का  
लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित  
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के  
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील भिकियाँ) की दिनांक 23-2-03 को  
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)  
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक  
श्री सुवर मर्ग उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की  
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

|                                          |                       |                  |            |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| 1- श्री <u>सुवर मर्ग</u>                 | उपजिलाधिकारी          | <u>भिकियाँ</u>   | अध्यक्ष    |
| 2- श्री <u>वी.के. सिंह</u>               | उप प्रभागीय वनाधिकारी | <u>सुवर</u>      | सदस्य      |
| 3- श्री <u>सहायक समाज कल्याण अधिकारी</u> | <u>सुवर</u>           | <u>सुवर</u>      | सदस्य/सचिव |
| 4- श्री <u>मोहन देवी</u>                 | बी०डी०सी० क्षेत्र     | <u>नैलबुधानी</u> | सदस्य      |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी  
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया  
कि

जनपद अल्मोड़ा में सबोली वैड से नैलबुधानी  
मोर मर्ग परियोजना हेतु.....हे० वन  
भूमि 1.71 हे० 2.7 हे० 3.62 हे०

विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों  
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त  
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग  
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, सुवर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य  
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008  
के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन  
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया  
है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड 502 परिक्षेत्र के अन्तर्गत  
है 0 वन भूमि सेवा प्रविष्टि से जल संचयन की परियोजना के निर्माण हेतु 7.10.77  
प्रयोजिता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर  
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी,  
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील-.....  
जनपद .....

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, 8.10.77 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी,  
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील-.....  
जनपद.....

**FORM-1**  
**Government of Uttarakhand**  
**Office of the District Collector : Rudraprayag**

No : .....

Dated: .....

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers) Recognition of Forest Right, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that..... hectares of forest land proposed to be diverted in favor of

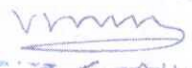
Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Sabali Bend Toulbadhwa M.R.

(Purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Manuwal Pali village(s) in Bhixyola Tehsils.

It is further Certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 7.077 Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent of it.
- (c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribble Groups and pre-agricultural communities.

Encl: As above

  
25.02.15  
Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में सबेली बैंड से तेलपुधानी

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्रस्तावित सबेली बैंड से तेलपुधानी परियोजना के निर्माण हेतु 7.07.7 हे० वन भूमि जे.पी. (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व पाईपलाइन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से भुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

जिला सभाज कल्याण अधिकारी  
अल्मोड़ा

  
25/02/15  
जिलाधिकारी

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S. Deputy Commissioner, Almora on date.....25.02.15.....at time.....3:00 PM.....at Almora, in which application claiming rights of ..... area measuring ..... hect. for the Construction of Sabali bend Taulbadhawi M.I.R. of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :

  
-25.02.15  
District Collector

(Full name of the official seal of the District Collector)

It is certified that - minutes of meeting for **Construction of**  
**Saboli bend - Taulbudhani motor Road**  
 under Provincial Division, PWD, Ranikhet in the state of Uttarakhand regarding FRA is  
 as Following :-

| S.N. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Remarks                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (a)  | The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire <u>1.077</u> ..... <u>hec.</u> of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure. | Yes copy of record attached as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.                                                                                        |
| (b)  | The diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.                                                                                                                                                           | Yes copy of record attached as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file |
| (c)  | The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.                                                                                                                                                                                                                                      | Yes copy of record attached as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.                                                                                        |

  
 जिला समाज कल्याण अधिकारी  
 बलवाड़ा

  
 जिला अधिकारी  
 Signature  
 बलवाड़ा

(Full name of the official seal of the District Collector)

परियोजना का नाम :-

जलपथ कालोच के समेकी ढाँचा से कौलधानी मेर  
मार्ग

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम नैनवालपाली  
तहसील मिथियालैंग जिला अमरोहा  
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अलमोड़ा के अन्तर्गत रामोली वॉ.ड. तहसील परियोजना के निर्माण हेतु (.....  
.....हे० आरक्षित वन भूमि ०.७०० हे० सिविल सोयम भूमि १.७५१ हे० वन पंचायत भूमि ३.६२६ हे०) अर्थात् कुल ७.०७७  
हे० वन भूमि का ला० सी० विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन  
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नैनवालपाली द्वारा दिनांक २३-१-०१५ को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक  
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार  
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।  
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं  
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।  
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नैनवालपाली के  
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ला० सी० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
क्षेत्र कु-डीम  
विकास खण्ड अलमोड़ा

सरपंच वार्ड  
वन पंचायत  
तल्ली पाली-विच्छखोली  
पो०-मणुली, (अलमोड़ा)

वि.हालादेवी  
ग्राम सभापति नैनवालपाली  
ग्राम प्रधान / सरपंच  
२३०२४० मुहर सहित

डि० २२/१२

कुबेर सिंह

मालती देवी अ. डिक्टर

उप प्रधान

मालती देवी

अ. डिक्टर

Anand Singh

गिरिश चंद्र

Pushpa

रमा देवी

भागीरथी देवी

मानुली देवी

रघुवर सिंह

अ. डिक्टर

मालती देवी

दिनांक 23-02-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत ..... मोतली देवी .....

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर   |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------|
| ①       | पुष्पा देवी व्यं. जीवन सिंह                         | पुष्पा देवी |
| ②       | कमला देवी व्यं. चन्दन सिंह                          | कमला देवी   |
| ③       | गोपाल राम अ. विनोद सिंह                             | <u>कमला</u> |
|         | राजेश सिंह अ. गोपाल सिंह                            | उमराव सिंह  |
|         |                                                     |             |
|         |                                                     |             |
|         |                                                     |             |

मोतली देवी

ग्राम पंचायत, मोतली देवी  
2018 सन् 1429

Amund Singh  
पंचायत

भागीरथी देवी

Pushpa  
मोतली देवी

रमा देवी

कुबेर सिंह

रघुवर सिंह

गोपाल सिंह

आम सिंह

परियोजना का नाम :-

जनपद - अल्मोड़ा में सबोली बेंड से लौलबुधानी  
मोटर मार्ग व निर्माण हेतु,

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम पुरियाचौड़ा / ईडाकोट

तहसील मिथियासैण जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सबोली बेंड से लौलबुधानी परियोजना के निर्माण हेतु (.....  
.....हे० आरक्षित वन भूमि ०.७०० हे० सिविल सोयम भूमि २.७५१ हे० वन पंचायत भूमि ३.६२६ हे०) अर्थात् कुल ७.०७७  
हे० वन भूमि का ला० सी. विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन  
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पुरियाचौड़ा द्वारा दिनांक २३-२-२०१५ को सम्मन ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक  
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार  
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।  
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं  
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।  
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पुरियाचौड़ा / ईडाकोट  
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ला० सी. व. प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत पुरियाचौड़ा अधिकारी  
क्षेत्र मिथियासैण  
विकास खण्ड शिवपुर

सरपंच  
वन पंचायत पुरिया चौड़ा  
पत्ता नया पो. मानिला  
(अल्मोड़ा)

ग्राम पंचायत पुरियाचौड़ा  
क्षेत्र मिथियासैण  
विकास खण्ड शिवपुर

दिनांक 27-2-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत परिपार्श्व/रसकोट

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर   |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 1-      | दयाकृष्ण                                            | दयाकृष्ण    |
| 2.      | केलाशचन्द्र                                         | केलाशचन्द्र |
| 3.      | नन्दकिशोर                                           | NK          |
| 4.      | अम्बादत्त                                           | अम्बादत्त   |
| 5.      | दीपादेवी                                            | दीपादेवी    |
| 6.      | भगादेवी                                             | भगादेवी     |

*(Signature)*  
सरपंच  
वन पंचायत पुर्गिया चौडा  
बल्खा नया पो० मानिला  
(अल्मोड़ा)

Land H  
 ग्राम प्रधान / सरपंच  
 शासन पंचायत पुरियाचोड़ा  
 वि. डा. ७६ अलमोड़ा

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में सखी बेल के लोचल छुट्टानी मोर  
मार्ग 1

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कुन्हील / टिरोली  
तहसील श्रीवास्तव जिला अल्मोड़ा  
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सखी बेल के लोचल छुट्टानी परियोजना के निर्माण हेतु (.....  
हे० आरक्षित वन भूमि ०.७०० हे० सिविल सोयम भूमि २.७५१ हे० वन पंचायत भूमि ३.८२६ हे०) अर्थात् कुल ७.२७७  
हे० वन भूमि का श्रीवास्तव विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन  
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुन्हील द्वारा दिनांक २३-२-०५ को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक  
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार  
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।  
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं  
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।  
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुन्हील / टिरोली के  
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि श्रीवास्तव प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सचिव  
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
क्षेत्र कुन्हील  
विकास खण्ड अल्मोड़ा

प्रधान  
ग्राम प्रधान / सरपंच  
ग्राम पंचायत कुन्हील स्योत्री मुहर सहित  
दि० २० सित (अल्मोड़ा)

प्रारूप -23.1

दिनांक 23-2-015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत कुन्हील / दिहोकी

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर         |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------------|
|         | शम सिंह बिष्ट                                       | शम सिंह           |
|         | नारायण सिंह बिष्ट                                   | नारायण सिंह       |
|         | कमला देवी                                           | कमला देवी         |
|         | कसनी देवी                                           | कसनी देवी         |
|         | नन्दन सिंह                                          | नन्दन सिंह        |
|         | उमार्श कंठ पाण्डे                                   | उमार्श कंठ पाण्डे |

प्रधान  
ग्राम पंचायत कुन्हील स्थायी  
दि० २० सित (बल्मोडा)  
ग्राम प्रधान / सरपंच

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में खोली बेंग से लैंगुथान  
मोटर मार्ग के निर्माण हेतु,

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम खाली  
तहसील मिर्जापुर जिला अल्मोड़ा  
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत खोली बेंग से लैंगुथान परियोजना के निर्माण हेतु (.....  
.....हे० आरक्षित वन भूमि ०.७० हे० सिविल सोयम भूमि २.७५१ हे० वन पंचायत भूमि ३.६२६ हे०) अर्थात् कुल ७.०७७  
हे० वन भूमि का ०.७० विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन  
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खाली द्वारा दिनांक २३-२०/१८ को सम्मन् ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक  
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार  
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।  
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं  
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खाली के  
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ०.७० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सचिव  
[Signature]  
सरपंच  
वन पंचायत खाली  
पो ८० बल (कल्याण)

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
क्षेत्र कल्याण  
विकास खण्ड खोली

ग्राम प्रधान / सरपंच  
मुहर सहित  
P. S. Bange  
प्रधान  
ग्राम पंचायत खाली  
वि० ८० बल (कल्याण)

दिनांक 23-3-01 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत ...खाली...

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर      |
|---------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 01      | प्रेम सिंह (सरपंच)                                  | प्रेम सिंह     |
| 02      | नाथू सिंह (उप प्रधान)                               | नाथू सिंह      |
| 03      | श्याम सिंह                                          | श्याम सिंह     |
| 04      | कुबेर सिंह                                          | कुबेर सिंह     |
| 05      | महेन्द्रा सिंह उजराड़ी                              | महेन्द्रा सिंह |
| 06      | प्रमोद सिंह                                         | प्रमोद सिंह    |

सरपंच  
ग्राम पंचायत खाली  
पो. कुन्हील, सत (अ. नोडा)

ग्राम प्रधान  
प्रमोद सिंह  
ग्राम पंचायत खाली  
पो. कुन्हील, सत (अ. नोडा)

परियोजना का नाम :-

जनपद - अल्मोड़ा में सखी रोड से तैलबुधानी  
मोहरी की निर्माण हेतु

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कुशीधार  
तहसील भिकियासैन जिला अल्मोड़ा  
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सखी रोड से तैलबुधानी परियोजना के निर्माण हेतु  
.....हे० आरक्षित वन भूमि ०.७०० हे० सिविल सोयम भूमि २.७५१ हे० वन पंचायत भूमि ३.६२६ हे० अर्थात् कुल ७.०७७  
हे० वन भूमि का १०० विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन  
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुशीधार द्वारा दिनांक २३-२-०१५ को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक  
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार  
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।  
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं  
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुशीधार के  
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि तैलबुधानी रोड प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सचिव  
ग्राम पंचायत अधिकारी

ग्राम पंचायत अधिकारी  
कुशीधार  
विजय चण्ड

ग्राम प्रधान / सम्पन्न  
ग्राम पंचायत अधिकारी  
वि० व० राज (अल्मोड़ा)

प्रारूप - 23.1

दिनांक 23.2.2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत ..... दुर्गाधर .....

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों<br>के नाम | हस्ताक्षर     |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 1-      | हरि लाल चौधरी                                          | हरि लाल चौधरी |
| 2-      | प्रहलाद सिंह कंवर                                      | प्रहलाद सिंह  |
| 3-      | रमेश चंद्र                                             | रमेश चंद्र    |
|         |                                                        |               |
|         |                                                        |               |
|         |                                                        |               |

1.5.25  
ग्राम प्रधान / सचिव  
ग्राम पंचायत दुर्गाधर  
पिन कोड 222 (अल्मोड़ा)

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में सखी रोड से लौकधानी  
मोह बागी के निर्माण हेतु

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम श्री झाकोट

तहसील श्री झाकोट जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सखी रोड से लौकधानी परियोजना के निर्माण हेतु  
है० आरक्षित वन भूमि ०.७०० है० सिविल सोयम भूमि २.७५१ है० वन पंचायत भूमि ३.६२६ है० अर्थात् कुल ७.०७७  
है० वन भूमि का लो० वि० विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन  
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत श्री झाकोट द्वारा दिनांक २३-२-०५ को सम्मन् ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक  
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार  
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।  
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं  
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम श्री झाकोट के  
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सचिव  
अधिकारी  
अत्र - लौकधानी  
अल्मोड़ा खण्ड तालुका (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान / सचिव  
अधिकारी  
अत्र - श्री झाकोट  
अल्मोड़ा खण्ड तालुका (अल्मोड़ा)

प्राप्त - 23.1

दिनांक 23-2-05 को ग्राम सभा की सम्पूर्ण बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत ..... डि. ११/०५

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर   |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------|
|         |                                                     |             |
|         | पुष्पा देवी                                         | पुष्पा देवी |
|         | मोहन सिंह                                           | मोहन सिंह   |
|         | निधन सिंह                                           | निधन सिंह   |
|         |                                                     |             |
|         |                                                     |             |
|         |                                                     |             |

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
क्षेत्र. टोलबुधानी  
उकास खण्ड स्याल्दे (अल्मोड़ा)

ग्राम सभा / सम्पूर्ण  
डि. ११/०५  
ग्राम पंचायत टोलबुधानी  
डा०- आ० मानिला  
डि. ११/०५ स्याल्दे (अल्मोड़ा)

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में सखेली बेड के होलपुधानी  
मोटर मार्ग

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चौना  
तहसील मिथियासंग जिला अल्मोड़ा  
अनापत्ति प्रमाण पत्र  
उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सखेली बेड के होलपुधानी परियोजना के निर्माण हेतु (.....  
हे० आरक्षित वन भूमि 1.700 हे० सिविल सोयम भूमि 2.751 हे० वन पंचायत भूमि 3.626 हे०) अर्थात् कुल 7.077  
हे० वन भूमि का ला० सि० विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन  
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चौना द्वारा दिनांक 23-3-05 को सन्यन्त ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक  
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार  
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।  
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं  
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।  
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चौना के  
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ला० सि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

अमिताभ  
ग्राम सचिव  
सरपंच  
वन पंचायत  
ग्राम-चौना पो०-कुन्हील  
पट्टी-पल्ला नया  
जिला-अल्मोड़ा 253687

अमिताभ  
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
क्षेत्र कुन्हील  
विकास खण्ड अल्मोड़ा

देवकी देवी  
ग्राम प्रधान / सरपंच  
ग्राम पंचायत चौना  
वि०ख०-सन्त (अल्मोड़ा)

दिनांक 23-2-015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत ..... चौना

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर  |
|---------|-----------------------------------------------------|------------|
| 1       | बचन सिंह                                            | बचन सिंह   |
| 2       | गिरधर सिंह                                          | गिरधर सिंह |
| 3       | नन्दन सिंह                                          | नन्दन सिंह |
| 4       | दान सिंह                                            | दान सिंह   |
| 5       | मोहन सिंह                                           | मोहन सिंह  |
| 6       | जहा सिंह                                            | जहा सिंह   |

अपित सिंह  
सरपंच  
वन पंचायत  
ग्राम-चौना पो-कुन्हील  
पट्टी-पल्ला नया  
जिला-अल्मोड़ा 263667

देवकी देवी  
ग्राम प्रधान / सरपंच  
ग्राम पंचायत चौना  
वि.सं. 263667 (पल्ला नया)

परियोजना का नाम -

जम्मादमलोड़ा में सड़की रोड से तैलघुधानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु,

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम वसेडी  
तहसील विशदिया जिला बलसोरा  
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद सल्मोड़ा के अन्तर्गत सड़की रोड से तैलघुधानी परियोजना के निर्माण हेतु (.....  
..... हे० आरक्षित वन भूमि ०.७०० हे०, सिविल सोवन भूमि २.७५१ हे० वन पंचायत भूमि ३.६२६ हे०) अर्थात् कुल ७.०७७  
हे० वन भूमि का कोटा विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन  
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकारण के विषय में ग्राम पंचायत वसेडी बलसोरा द्वारा दिनांक ०६/०२/२०२० को सम्मेलन ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक  
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार  
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।  
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं  
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम वसेडी बलसोरा के  
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि कोटा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सचिव [Signature]  
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
कोटा [Signature]  
वि० ख० [Signature] अलमोड़ा

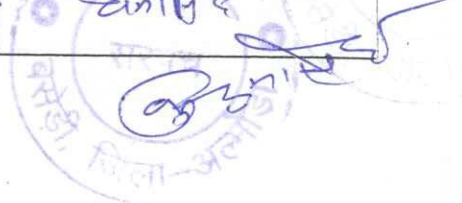


ग्राम प्रधान / सरपंच  
जुहल सिंह

[Signature]  
ग्राम प्रधान  
ग्राम पंचायत वसेडी  
वि० ख०-सल्ट (अल्मोड़ा)

दिनांक ..... को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत बसेड़ी

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर  |
|---------|-----------------------------------------------------|------------|
| (1)     | देवसिंह दुधपाल सुलेली                               | दे. दुधपाल |
| (2)     | बालम सिंह " "                                       | बालम सिंह  |
| (3)     | शिवसिंह " "                                         | शिवसिंह    |
| A.      | शंकरसिंह बालनल कोठी                                 | शंकरसिंह   |
| पू      | नाथूसिंह बस बलनल कोठी                               | नाथूसिंह   |
| 6-      | चनानिंह बसनाल बसेड़ी                                | चनानिंह    |



ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
कोष बसेड़ी  
पि० उ० बसेड़ी अल्मोड़ा

ग्राम प्रधान / सरपंच  
माधवी  
ग्राम प्रधान  
ग्राम पंचायत बसेड़ी  
बि०ख०-सल्ट (अल्मोड़ा)  
06/02/2020

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में सखेली बेंक से तेलपुवानी गैर मार्ग के निर्माण हेतु।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम समस्पाड़ी  
तहसील बिक्रमपुर जिला अल्मोड़ा  
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सखेली बेंक से तेलपुवानी परियोजना के निर्माण हेतु (.....  
.....है। आवेदित वन भूमि 0.700 है। सिविल सोयन भूमि 3.751 है। वन पंचायत भूमि 3.626 है। अर्थात् कुल 7.077  
है। वन भूमि का लो.नि. वि. विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत समस्पाड़ी द्वारा दिनांक ..... को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम समस्पाड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो.नि. वि. प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

May  
ग्राम पंचायत सिलसिले अधिकारी  
क्षेत्र .....  
दिनांक .....

प्रधान Ba  
ग्राम पंचायत टिटोली  
बि.ओ. सल्ट, तह. नि. गायसैन  
जिला अल्मोड़ा मो. 8755972792

ग्राम प्रधान / सरपंच  
मुहर सहित  
.....  
सरपंच  
वन पंचायत टिटोली  
जिला- अल्मोड़ा

दिनांक ..... को ग्राम सभा की नियमित बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत समस्तपुरी

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर  |
|---------|-----------------------------------------------------|------------|
|         | कैलाश सिंह                                          | कैलाश      |
|         | अनीता देवी                                          | अनीता देवी |
|         | चनारिह                                              | चनारिह     |
|         | शंकर दत्त                                           | शंकर दत्त  |
|         | देवासिंह                                            | देवासिंह   |
|         | विपिन चंड                                           | विपिन चंड  |

May  
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
क्षेत्र .....  
वि० सहायक .....  
.....

ग्राम प्रधान / सरपंच  
ग्राम पंचायत टिटौली  
वि० सहायक, तह० मिर्जापुर  
जिला अल्मोड़ा मो० 8755972792

कैलाश  
सरपंच  
ग्राम पंचायत टिटौली  
जिला- अल्मोड़ा

परियोजना का नाम :-

जनपद अम्बोड़ा में खेती के लिए तैयार की गई भूमि का निर्माण हेतु

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मुखोली  
तहसील खिजियाँ जिला अम्बोड़ा  
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अम्बोड़ा के अन्तर्गत खेती के लिए तैयार की गई परियोजना के निर्माण हेतु (.....  
.....हे० आरक्षित वन भूमि 0.700 हे० सिविल सोयम भूमि 2.751 हे० वन पंचायत भूमि 3.626 हे०) अर्थात् कुल 7.077  
हे० वन भूमि का खोली विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन  
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मुखोली द्वारा दिनांक 06/02/2020 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक  
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार  
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।  
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं  
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मुखोली के  
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि खोली प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
मुखोली  
अम्बोड़ा

ग्राम प्रधान / सरपंच  
मुहर सहित

प्रधान  
ग्राम पंचायत मुखोली  
विकास खण्ड सल्ट (अल्मोड़ा)  
मुखोली

दिनांक .....को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मुसोली

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर         |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------------|
|         |                                                     | भवानी             |
| ①       | भवानी देवी                                          |                   |
| ②       | जुममा सिंह                                          | जुममा सिंह        |
| ③       | कुन्दन सिंह                                         | कुन्दन सिंह       |
| ④       | हरपाक सिंह मगराक                                    | हरपाक सिंह        |
| ⑤       | दिना                                                | दिना              |
| ⑥       | दिनेश चन्द्र सिंह                                   | दिनेश चन्द्र सिंह |

ग्राम प्रधान / सरपंच

प्रधान

ग्राम पंचायत मुसोली

निकास स्वर्ण सल

लीला देवी

ग्राम पंचायत मुख्यालय अधिकारी

लेखक

वि० सत

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में सरोवरी क्षेत्र से लीमबुछानी  
मोटर मार्ग के निर्माण हेतु,

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कनगड़ी  
तहसील पिपिपामैज जिला अल्मोड़ा  
अनापत्ति प्रमाण पत्र  
उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सरोवरी क्षेत्र से लीमबुछानी परियोजना के निर्माण हेतु (  
हे० आरक्षित वन भूमि ०.७०० हे० सिविल सोयम भूमि २.७५१ हे० वन पंचायत भूमि ३.६२६ हे०) अर्थात् कुल ७.०७७  
हे० वन भूमि का ०.७०० विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन  
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कनगड़ी द्वारा दिनांक २३-२-०८ को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक  
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार  
अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।  
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं  
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का ज्ञान नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कनगड़ी के  
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ०.७०० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
क्षेत्र कनगड़ी  
विकास खण्ड कनगड़ी

ग्राम प्रधान / सचिव

मुहर सहित

ग्राम प्रधान  
ग्राम पंचायत कनगड़ी  
कि० ख० स० (अल्मोड़ा)

प्रारूप -23.1

दिनांक 23-02-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत कनगड़ी

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------|
|         | श्री गणेश चन्द                                      |           |
|         | श्री महेश चन्द                                      |           |
|         | श्री जलदित्त                                        |           |
|         | दिनेश चन्द                                          |           |
|         |                                                     |           |
|         |                                                     |           |

ग्राम प्रधान / सरपंच

  
प्रधान

ग्राम पंचायत कनगड़ी  
वि० ख० सख्त (खान्ना)

परियोजना का नाम :-

जनपद - अल्मोड़ा में सखी बोर से तैलबुधानी  
मोड़ मार्ग के निर्माण हेतु

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम रिहना  
तहसील शिकीयाहवा जिला अल्मोड़ा  
अनापत्ति प्रमाण पत्र  
उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सखी बोर से तैलबुधानी परियोजना के निर्माण हेतु (.....  
.....हे० आरक्षित वन भूमि ०.७०० हे० सिविल सोयम भूमि २.७५१ हे० वन पंचायत भूमि ३.६३६ हे०) अर्थात् कुल ७.०८७  
हे० वन भूमि का लोक निर्माण वि० विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावाहित करने हेतु आवेदन  
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रिहना द्वारा दिनांक २३.१२.१५ को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक  
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार  
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।  
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं  
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रिहना के  
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सचिव  
ग्राम पंचायत अधिकारी

ग्राम पंचायत अधिकारी  
कुशीघाट  
विकास अधिकारी

ग्राम प्रधान / सम्पन्न  
गृह सहित

ग्राम पंचायत सीमा-रिहना  
श्रीमान, विकास सचिव  
(अल्मोड़ा)

प्रारूप - 23.1

दिनांक 23.2.015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत रिहड़ा

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों<br>के नाम | हस्ताक्षर          |
|---------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 01      | मन सिंह के गारी                                        | मन सिंह            |
| 02      | सुरेश सिंह रावत                                        | सुरेश              |
| 03      | मनमोहन सिंह के गारी                                    | मनमोहन             |
| 04      | चन्द्रशेखर मरहता                                       | चन्द्रशेखर         |
| 05      | देव सिंह रावत                                          | देव सिंह           |
| 06      | मोहन चन्द उपाध्याय                                     | मोहन चन्द उपाध्याय |

Bimla  
ग्राम प्रधान / समिति  
ग्राम पंचायत रिहड़ा  
पोस्ट ऑफिस, रिहड़ा सत.  
(अनुमोदित)

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में सिलेक्टेड हे लीकबुधानी मोरटा

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम तोलबुधानी  
तहसील विक्रमपुर जिला अल्मोड़ा  
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु (.....  
हे० आरक्षित वन भूमि ०.७०० हे० सिविल सोयन भूमि २.७५१ हे० वन पंचायत भूमि ३.६२६ हे०) अर्थात् कुल ७.०७७  
हे० वन भूमि का ०.०१० विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन  
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तोलबुधानी द्वारा दिनांक २३-२-१५ को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक  
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार  
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।  
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं  
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तोलबुधानी के  
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ०.०१० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
क्षेत्र तोलबुधानी  
उपकाय खण्ड खाल्डे (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान / सरपंच  
हेमलक्ष्मी  
ग्राम पंचायत तोलबुधानी  
पि०- आ० मानला  
पि० ब० म्याल्डे (वरपौडा)

दिनांक 23-2-18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत लौलबुधानी

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर    |
|---------|-----------------------------------------------------|--------------|
| (1)     | मोहन सिंह                                           | मोहन सिंह    |
| (2)     | बालम सिंह                                           | बालम सिंह    |
| (3)     | कुशल सिंह                                           | कुशल सिंह    |
| (4)     | जयान्ती देवी उप प्रधान                              | जयान्ती देवी |
| (6)     | पुष्पा देवी                                         | पुष्पा देवी  |
| (7)     | किसन सिंह                                           | किसन सिंह    |

ग्राम प्रधान / सरपंच

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
क्षेत्र लौलबुधानी  
उत्कृष्ट खण्ड स्थान (अल्मोड़ा)

हेमा देवी  
/ प्रधान  
ग्राम पंचायत लौलबुधानी  
पो- आ० मानला  
बि० ४० स्थान (अल्मोड़ा)